राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 77/2018 अपील

1. भैरू लाल आत्मज गणेश भील, निवासी – भीलो का खेड़ा (भीलिया खेड़ा) सोडार तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. भागू आत्मज घीसा भील, निवासी – भीलों का खेड़ा (भीलिया खेड़ा) सोडार तहसील हुरड़ा
2. उपपंजीयक, हुरड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील बमामले नामान्तरकरण संख्या–609, दिनांकित 04/05/2018, ग्राम बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोडार तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –

1. श्री संजय कुमार सेन, राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 13.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 609 दिनांक 04.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बख्तावरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में सुखा आत्मज घीसा भील के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजियात स्थित है। आराजी संख्या 653, 654, 656, 660, 661, 666, 705, 706, 707 किता 09 रकबा 19.07 बीघा में सुखा का 1/2 हक हिस्सा निहीत है। सुखा कि मृत्यू 04.10.2016 को हो गयी सुखा कि मृत्यु के पश्चात् सुखा कि समस्त जायदाद व उक्त कृषि भूमि सुखी में निहीत हो गयी। सुखा भील के जीवनकाल से ही अपीलार्थी जो कि रिश्तेदारी में सुखा का भाई लगता है, सुखा व उनकी पत्नी सुखी के साथ रहकर सेवा सुश्रुषा की व सुखा की मृत्यु के पश्चात् सुखा कि पगड़ी भी अपीलार्थी के ही बँधवाई तथा समस्त सामाजिक कार्यक्रम भी अपीलार्थी द्वारा ही सम्पन्न किये गये। सुखी ने अपीलार्थी की सेवा चाकरी व देखभाल से प्रसन्न हो अपीलार्थी के पक्ष में साक्षियों कि समस्थिति में अपनी समस्त कृषि भुमि व बाड़े की वसीयत निष्पादित की। सुखी भील का

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नही करके विधिक त्रुटि की हैं। क्योंकि सुखी के नाम पर नामान्तरकरण नही खोले जाने से सुखा की मृत्यु उपरांत सुखा की आराजियात की खातेदार बनने से उसकी पत्नी सुखी वंचित हो गयी थी।

अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 609, दिनांकित 04/05/2018 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थी की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा के यहां दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा